भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *33
उत्तर देने की तारीख 28 नवंबर, 2024

ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना और कनेक्टिविटी

***33. श्रीमती फूलो देवी नेतम:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) सरकार के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;
(ग) विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और
(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना और कनेक्टिविटी" के संबंध में दिनांक 28 नवंबर 2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के भाग (क) से (घ) के संबंध में राज्य सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)/सैटेलाइट लिंक द्वारा जुड़ी ग्राम पंचायतों (जीपी) की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.64 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की जा रही है। भारतनेट चरण-I और चरण-II के तहत अक्टूबर 2024 के अंत तक 2,14,283 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। यह उपलब्धि चरण-I और चरण-II में 2,22,341 ग्राम पंचायतों के नियोजित नेटवर्क की तुलना में है।

(ग) ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

(i) दुर्गम क्षेत्र (पहाड़ी/चट्टानी सहित) और व्यापक रूप से दूर-दूर स्थित गांव, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में;
(ii) विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य करने का सीमित मौसम;
(iii) विभिन्न राज्यों में मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) प्राप्त करने में कठिनाई।
(iv) ग्राम पंचायतों में निरंतर विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता।

(घ) इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम:

(i) सेवा से वंचित गांवों का 4जी सैचुरेशन और 2जी/3जी मोबाइल कवरेज का 4जी में उन्नयन करना।
(ii) लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रदान करना।
(iii) मौजूदा भारतनेट नेटवर्क चरण I/II के लिए फाइबर कट के मुद्दे को हल करने के लिए एजेंसियों को शामिल करना।
(iv) देश के सभी आबादी वाले गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का अनुमोदन। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में 1,39,579

करोड़ रुपए की लागत से डिजाइन में सुधार पूर्व के भारतनेट की कई कमियों को दूर करता है जो इस प्रकार है:

क. रिंग टोपोलॉजी में ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी।
ख. ब्लॉक और ग्राम पंचायत पर राउटर के साथ आईपी-एमपीएलएस नेटवर्क।
ग. मांग के आधार पर गैर-ग्राम पंचायत गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का प्रावधान।
घ. 10 वर्षों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण का प्रावधान, जिसमें केन्द्रीकृत नेटवर्क संचालन केन्द्र (सीएनओसी) के माध्यम से नेटवर्क अपटाइम की निगरानी और सेवा स्तर करार (एसएलए) के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को भुगतान शामिल है।
ङ. ग्राम पंचायतों और ब्लाकों में पर्याप्त स्तर के पावर बैकअप की व्यवस्था।
च. फाइबर निगरानी के लिए ब्लाक में रिमोट फाइबर मॉनीटरिंग सिस्टम (आरएफएमएस) का प्रावधान।

अनुबंध-I

दिनांक 28.11.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारतनेट परियोजना के तहत जुड़ी ग्राम पंचायतों की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	अक्तूबर-24 के अंत तक
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	7	23	29	72	72	72
2	आंध्र प्रदेश	13	13	13	13	13	13	1398	1639	1700	1716	5209	12955	12955
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	13	105	327	657	769	964	1104	1123
4	असम	0	0	0	88	329	1397	1496	1496	1497	1511	1511	1511	1507
5	बिहार	0	0	0	204	416	4692	5525	7961	8293	8307	8316	8340	8340
6	चंडीगढ़	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	495	1250	3533	4017	4773	7534	8971	9584	9695	9695
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	14	20	20	20	20	20	20	20
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	15	16	16	18	18	18	18
10	गुजरात	0	0	0	116	491	4764	5375	11680	13303	14144	14260	14316	14316
11	हरियाणा	0	0	0	149	640	5757	6069	6071	6081	6082	6082	6082	6082
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	164	222	275	365	406	408	409	410
13	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	168	646	863	997	1078	1092	1099	1101
14	झारखंड	0	0	0	121	356	1455	2261	2427	3522	4279	4357	4384	4390
15	कर्नाटक	0	0	32	2864	4825	6069	6080	6080	6080	6083	6084	6084	6084

16	**केरल**	0	0	295	977	977	977	977	977	977	978	978	978	978
17	**लद्दाख**	0	0	0	0	0	0	50	167	184	190	192	193	193
18	**लक्षद्वीप**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9
19	**मध्य प्रदेश**	0	0	0	145	2559	11560	12547	12942	15169	17652	17837	17850	17850
20	**महाराष्ट्र**	0	0	0	127	1597	13572	14976	15644	18955	22124	23951	24253	24575
21	**मणिपुर**	0	0	0	0	24	121	316	947	1423	1436	1467	1469	1469
22	**मेघालय**	0	0	0	0	0	122	187	256	580	652	682	695	697
23	**मिजोरम**	0	0	0	0	0	18	32	235	422	452	452	507	532
24	**नागालैंड**	0	0	0	0	0	61	98	129	222	232	232	232	236
25	**ओडिशा**	0	0	0	104	462	2482	3524	4021	5818	6672	6782	6785	6785
26	**पुडुचेरी**	0	0	0	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
27	**पंजाब**	0	0	0	0	237	6758	7887	12539	12664	12668	12668	12668	12668
28	**राजस्थान**	30	30	30	282	1188	8014	8352	8598	8759	8770	8770	8776	8776
29	**सिक्किम**	0	0	0	0	0	4	13	22	22	24	35	35	35
30	**तमिलनाडु**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1922	8405	10295
31	**तेलंगाना**	0	0	0	105	125	1996	1996	1996	3647	7260	9410	10800	10825
32	**त्रिपुरा**	15	15	15	73	75	477	506	665	711	726	731	740	740
33	**उत्तर प्रदेश**	0	0	0	186	1392	27082	27859	28759	31069	36911	41780	46408	46729
34	**उत्तराखंड**	0	0	0	183	284	1365	1480	1502	1537	1653	1863	1983	1991
35	**पश्चिम बंगाल**	0	0	0	0	205	1990	2039	2187	2262	2350	2593	2676	2677
	कुल	**58**	**58**	**385**	**6342**	**17555**	**104748**	**116178**	**135331**	**154619**	**174282**	**190441**	**211661**	**214283**

नोट: दिल्ली में कोई ग्राम पंचायत नहीं है, इसलिए इसे भारतनेट परियोजना में शामिल नहीं किया गया है। गोवा का अपना इसी प्रकार का ब्रॉडबैंड नेटवर्क था, इसलिए इसे भारतनेट परियोजना के चरण-I और चरण-II में शामिल नहीं किया गया है।

*****